बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। संकल्प ।।

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि मो0 जैनुल आबदीन अंसारी, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, भागलपुर सम्प्रति सहायक निबंधक (अ0र0), स0स0, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, भागलपुर के पदस्थापन काल में धान अधिप्राप्ति वर्ष 2021–22 अंतर्गत भागलपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, भागलपुर एवं बांका जिले में लगभग 233 करोड़ रुपये की धान खरीदगी की गयी जिसके लिए बगैर बैंक के निदेशक मंडल के स्वीकृति प्राप्त किये कैश क्रेडिट ऋण की स्वीकृति दिये जाने, धान अधिप्राप्ति के क्रम में मनमाने तरीके से पूर्ण कैश क्रेडिट किये जाने, बैंक के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा–11 का अनुपालन नहीं कर बगैर निदेशक मंडल के अनुमति प्राप्त किये लगभग 55 लाख रुपये का ए0टी0एम0 वैन का क्रय किये जाने, समन्ता सिक्युरिटी कंपनी से कमीशन लेकर बगैर बोर्ड के अनुमति के 04 (चार) सिक्युरिटी गार्ड बहाल किये जाने एवं प्रबंध निदेशक द्वारा जारी बैठक रोस्टर का पालन नहीं किये जाने के आरोप में अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदन से विभागीय पत्रांक–6414 दिनांक–22.12.2025 द्वारा आरोप पत्र गठित कर स्पष्टीकरण पूछा गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक–379 दिनांक–19.01.2026 द्वारा स्मारित किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक–2876 दिनांक–29.05.2026 द्वारा संशोधित आरोप पत्र गठित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तदनुसार विभागीय पत्रांक–930 दिनांक–12.02.2026, पत्रांक–3541 दिनांक–30.06.2026 द्वारा स्मारित किया गया। इसके बावजूद मो0 अंसारी के स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त रहा।

श्री अंसारी के विरूद्ध गठित आरोप एवं उनसे पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव अप्राप्त रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(5)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जायेगी।

2. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में श्री मनोज कुमार सिंह, अपर निबंधक(साख), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री पप्पु कुमार, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, भागलपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप–पत्र की एक–एक प्रति (साक्ष्य सहित) श्री मनोज कुमार सिंह, अपर निबंधक(साख), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना –सह–संचालन पदाधिकारी / श्री पप्पु कुमार, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, भागलपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं मो0 जैनुल आबदीन अंसारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका सम्प्रति सहायक निबंधक (अ0र0), स0स0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :../ पटना, दिनांक :..................................
8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–747/2025

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री मनोज कुमार सिंह(साख), अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना –सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :../ पटना, दिनांक :..................................
8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–747/2025

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के श्री पप्पु कुमार, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, भागलपुर –सह– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :../ पटना, दिनांक :..................................
8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–747/2025

निबंधित

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ मो0 जैनुल आबदीन अंसारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका सम्प्रति सहायक निबंधक (अ0र0), स0स0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :../ पटना, दिनांक :..................................
8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–747/2025

प्रतिलिपि :– निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रशाखा–1), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :.........4546........./ पटना, दिनांक :...12/08/26
8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–747/2025

प्रतिलिपि :– लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई॰ टी॰ मैंनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

~~अनुलग्नक–यथोक्त~~।

12/08/26
विशेष कार्य पदाधिकारी।

F:\section-8\2025\santosh\sankalo-jainul abdin ansari.doc